

विरासत और पर्यटन

क्षेत्रीय योजना-2001 में, इस क्षेत्र के लिए कोई विशष नीतियों और कार्यक्रमों की परिकल्पना नहीं की गई थी। तथापि, चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आर्थिक आधार को मजबूत करने के लिए एवं संतुलित और सुव्यवस्थित विकास के लिए पर्यटन में बड़ी सर्मथता है, अतः इस योजना में इस क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास एवं धरोहर संरक्षण व प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है।

पर्यटन और धरोहर संरक्षण की अनिवार्यता के बीच एक घनिष्ट और सहजीवी संबंध है। धरोहर को सुरिक्षत रखना और पर्यटन विकास की सहयोजित कार्यनीतियां रोजगार के महत्वपूर्ण आर्थिक सृजन और विकेन्द्रित शहरी विकास के उपकरण के रूप में कार्य करेंगी।

13.1 धरोहर

इस क्षेत्र की धरोहर, मानव-निर्मित और प्रकृतिक दोनों ही को उपेक्षा से हानि पहुंची है और विडंबनीय बात यह है कि शहरी आबादी और औद्योगिक क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास में हुई भूल-चूक के कारण, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अनियोजित और अनिधकृत वृद्धि के कारण पूर्व योजना में इस क्षेत्र का उचित धार्म k ātākā के कारण भी इसे उतनी ही हानि हुई है।

13.1.1 मानव-निर्मित धरोहर

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) अथवा राज्य पुरातत्व विभागों द्वारा सुरक्षित रखे हुए कुछ स्मारक अभी ठीक हालत में और बचे हुए हैं । तथापि, बड़ी संख्या में असुरक्षित स्मारक उपेक्षा, बर्बरता और अतिक्रमण के कारण नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि वर्तमान महा/विकास योजनाओं साथ ही साथ क्षेत्रीय योजना में उन्हें बचा कर रखने की कोई यंत्रावली नहीं थी । असुरक्षित स्मारक का संदर्भ उन स्मारक से है, जो सांस्कृतिक रूप से मूल्यवान नहीं हैं, लेकिन वे फिर भी, सांस्कृतिक/ऐतिहासिक धरोहर के अच्छे उदाहरण हैं जिन्हें समान स्तर की सुरक्षा दी जानी चाहिए ।

एक दूसरी धरोहर जो क्रमशः नष्ट होती जा रही है, वह परंपरागत शहरी सौंदर्य है। ऐसा इसलिए है कि दोनों, केन्द्र/राज्य पुरातत्व संरक्षण अधिनियमों में, उन्हें मूल्यवान धरोहर के रूप में नहीं माना गया है। इन क्षेत्रों में व्यक्तिगत भवन जो सुरक्षित रखने योग्य हो या न हों, लेकिन जब इन्हें सामूहिक रूप में देखा जाए, तो यह मुल्यवान धरोहर के द्योतक हैं व संरक्षण योग्य हैं।

धरोहर स्थलों की पहचान

इस क्षेत्र में 258 केन्द्र सुरक्षित स्मारक और 20 राज्य सुरक्षित स्मारक हैं । सुरक्षित स्मारकों की राज्यवार सूची सारणी 13.1 में दी गयी है ।

सारणी 13.1: रा. रा. क्षे. के विभिन्न राज्यों में सुरक्षित स्मारकों की संख्या

सुरक्षित/राज्य	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	एन.सी.टीदिल्ली	कुल
1	2	3	4	5	6
केन्द्र सुरक्षित	63	26	03	166	258
राज्य सुरक्षित	01	02	17	उपलब्ध नहीं	20

स्रोतः पर्यटन, धरोहर, प्रदूषण, आपदा प्रबंधन इत्यादि सहित पर्यावरण पर अध्ययन दल की रिपोर्ट



HERITAGE AND TOURISM

In the Regional Plan-2001, no specific policies and programmes were envisaged for this sector. However, since tourism has great potential for the balanced & harmonised development and to strengthen the economic base of the National Capital Region, this plan lays special emphasis on integrated tourism development and heritage conservation & management in the region.

There is a close and symbiotic relationship between the imperative of tourism and heritage conservation. Coordinated strategies of heritage protection and tourism development will act as an important economic generator of employment and as an instrument to decentralised urban development.

13.1 HERITAGE

The heritage in region, both man-made and natural, has suffered through negligence and ironically also due to various acts of omission and commission attributable to the planned development of urban settlements and industrial areas as well as the unplanned and unauthorized growth in the National Capital Region on account of the earlier Plan not taking due cognizance of the sector.

13.1.1 Man-made Heritage

Few monuments protected by Archaeological Survey of India (ASI) or State Archaeological Departments are reasonably intact and have survived. However, a much larger number of unprotected monuments have suffered due to neglect, vandalism and encroachments, since there was no mechanism to prevent them in the existing Master/Development Plans as well as Regional Plan. The unprotected monuments refer to those monuments, which have not yet been identified as culturally valuable, but are nevertheless, good examples of cultural/historical heritage that should be provided with same level of protection.

Another valuable area of heritage that is being slowly obliterated is traditional urbanscape. This is because neither of the Centre/State Archaeological Protection Acts recognises them as possessing heritage value. These areas may or may not contain individual buildings, which qualify for protection, but when considered as an ensemble, they represent valuable heritage worthy of conservation.

Identification of Heritage Sites

There are 258 Centrally protected monuments and 20 State protected monuments in the region. The State wise protected monuments are given in Table 13.1.

Table 13.1: Number of Protected Monuments in various States of NCR

Protection/State	Haryana	Rajasthan	Uttar Pradesh	NCT-Delhi	Total
1	2	4	3	5	6
Centrally Protected	63	03	26	166	258
State Protected	01	17	02	NA	20

Source: Study Group Report on Environment including tourism, heritage, pollution, disaster management etc.

कानून द्वारा सुरक्षित उपरोक्त स्मारकों के अलावा कला और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भारतीय राष्ट्रीय ट्रस्ट (आई.एन.टी.ए.सी.एच.) ने रा.रा.क्षे. में सुरक्षित रखने योग्य स्मारकों की बड़ी सूची तैयार की है । इसने अभी तक क्षेत्र में 1,627 स्मारकों और 26 संरक्षित क्षेत्रों की पहचान की है जिन्हें सुरक्षित रखने की आवश्यकता है । राज्यवार विवरण सारणी 13.2 में दिया गया है । इन धरोधर स्थलों की पहचान और सूचीबद्ध करने की जरूरत है जिससे उन्हें अनुकूल सुरक्षा दी जा सके । यह उन संरक्षित क्षेत्रों के अस्तित्व की पहचान में मदद करेगी, जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है ।

सारणी 13.2: आईएनटीएसीएच द्वारा सुचीबद्ध स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों की संख्या

उप-क्षेत्र	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	दिल्ली	कुल
1	2	3	4	5	6
स्मारक	334	उपलब्ध नहीं	85	1,208	1,627
संरक्षित क्षेत्र	0	उपलब्ध नहीं	0	26	26

एन.सी.टी.-दिल्ली

जाफर हसन ने 1911 में दिल्ली में कुल 1,321 स्मारकों की पहचान की थी और एम.पी.डी.-2001 में भी यही संख्या प्रतिबिंबित की गई है । चूंकि उस समय संरक्षण की कोई सकारात्मक नीति नहीं थी, कई वर्षों पश्चात् यह संख्या, आई.एन.टी.ए.सी.एच. के अनुसार, घटकर 1,208 रह गयी, जिसमें 166 केन्द्र संरक्षित स्मारक शामिल है जो ए.एस.आई. अधिनियम, 1958 के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा सुरक्षित है । दिल्ली नगर निगम द्वारा इन स्मारकों को धरोहर भवनों के तौर पर अधिसूचित किया गया है । इसके अलावा, राज्य सरकार लगभग 150 स्मारकों को, एन.सी.टी.-दिल्ली सरकार द्वारा स्मारकों को परिरक्षण अधिनियम अधिसूचित होने के बाद, जल्द ही अधिसूचित करने का प्रस्ताव है । बकाया स्मारकों को इस समय कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है और वे खतरे में हैं । एन.सी.टी.-दिल्ली सरकार, 100 वर्ष से पुराने भवनों के परिरक्षण के लिये भी धरोहर भवन अधिनियम बनाने की प्रक्रिया में है ।

13.1.2 मानव-निर्मित धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए नीतियां और प्रस्ताव

केन्द्र और राज्य के विधान भवनों/स्थलों की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं परंतु वह वास्तविक सुरक्षित रखने वाले क्षेत्र के आस-पास की भूमि संपत्ति पर विकास को नियंत्रित नहीं कर सके हैं । यहां पर सुरक्षित स्मारक के आस-पास की भूमि को सुरक्षा देने के लिए शहरी और ग्रामीण योजना विधान को लागू करना संभव है । इस दृष्टि से, निम्नलिखित नीतियां/कार्यनीतियां प्रस्तावित है:

- i) रा.रा.क्षे. के सभी नगरों/जिलों में स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों को सूचीबद्ध किए जाने का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए । सभी केन्द्र सुरक्षित, राज्य सुरक्षित और सूचीबद्ध भवनों का हरेक नगर के महा/जोनल योजनाओं और क्षेत्र के जिला योजनाओं में पद/नींव छाप (फूट प्रिंट) सिहत अर्कित होना चाहिए । उपरोक्त योजनाओं में उनके सुरक्षित रखने की विशेष आवश्यकताओं का जिक्र होना चाहिए तथा उनके महत्व के स्तर के अनुरूप हो और भिन्न हो सकते हैं । कानूनी तौर पर सुरक्षित भवनों और 'सूचीबद्ध' भवनों का अन्तर स्पष्ट होना चाहिए । 'सूचीबद्ध' भवनों को समान स्तर की वैज्ञानिक सुरक्षा की जरूरत नहीं होती जैसी कि केन्द्र और राज्य द्वारा सुरक्षित स्मारकों को होती है ।
- ii) संघटक राज्यों के शहरी और ग्रामीण योजना विधान में "विशेष क्षेत्रों" के विकास का प्रावधान है । हरेक राज्य को इस विधान का उपयोग करते हुए सुरक्षित स्मारकों के आस-पास की भूमि को विशेष क्षेत्र घोषित करना चाहिए और इसके 300 मीटर की परिधि क्षेत्र के लिए क्षेत्र स्तर योजनाएं बनानी चाहिए । इन योजनाओं में विकास का स्वरूप क्षेत्र में किये जाने और न किए जाने वाले गतिविधियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जो कि केन्द्र और राज्य पुरातत्व संरक्षण विधानों में उपलब्ध निर्देशों के अनुरूप होने चाहिए ।
- iii) सुरक्षित/सूचीबद्ध स्मारकों के अतिरिक्त, इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास में कुछ छिपे अथवा जमीन में दबे स्थल भी मौजूद हैं। पुरातत्व से संबंधित विभागों को बताना चाहिए कि किन अनुमानित जगहों में ऐसा भूमिगत खण्डहर मौजूद हैं, और इन क्षेत्रों को हर एक नगर के महा योजना और संबंधित जिला स्तरीय योजनाओं में विधिवत चिन्हित किया जाना

Besides the above legally protected monuments, the Indian National Trust for Arts and Cultural Heritage (INTACH) has listed a large number of monuments being worthy of receiving protection in NCR. It has so far identified 1,627 monuments and 26 conservation areas in the region that need to be protected. State wise details are given in Table 13.2. These heritage sites need to be identified and listed for appropriate protection. This will also help in identifying the existence of conservation areas, which require immediate attention.

Table 13.2: Number of Monuments and Conservation areas listed by INTACH

Sub Regions	Haryana	Uttar Pradesh	Rajasthan	Delhi	Total
1	2	3	4	5	6
Monuments	334	NA	85	1,208	1,627
Conservation Areas	0	NA	0	26	26

NCT-Delhi

Zaffar Hasan in 1911 had identified 1,321 monuments in Delhi and this number had also been reflected in MPD-2001. Because there was no positive policy for the conservation, over the years this number, according to INTACH, reduced to 1,208, which included 166 centrally protected monuments by ASI under ASI Act, 1958. The Municipal Corporation of Delhi had notified these monuments as heritage buildings. Besides these, State Government is proposing to notify about 150 monuments as soon as the GNCT of Delhi Act is notified for Preservation of Monuments. Remaining monuments are at present not receiving any protection and are under threat. The Government of NCT-Delhi is also in the process of enactment of a Heritage Building Act for preservation of the buildings, which are more than 100 years old.

13.1.2 Policies and Proposals for the Protection of Man-made Heritage Sites

Central and State Legislations ensure physical protection of the buildings/sites but they have not been able to control the development of the land appurtenant to the actual protected area. This is where it is possible to employ the instrument of the Town and Country Planning Legislation to protect the area around the protected monument. In view of this, following policies/strategies are proposed:

- i) The listing of monuments and conservation areas of all the towns/districts in NCR should be completed on priority basis. All the centrally protected, state protected and listed buildings should be identified with their footprints on the Master/Zonal Plans of each town and in the District Plans in the region. Specific requirements for their protection should be highlighted in the said plans and may vary according to their level of significance. A distinction needs to be made between the legally protected buildings and the 'listed' buildings. The 'listed' buildings do not require the same level of scientific protection as the centrally and state protected monuments.
- ii) Town and Country Planning Legislations of the constituent States have provisions for the development of "Special Areas". Each State should use this instrument to declare the area around the protected monuments to be special areas and prepare area level plans for an area covering 300 metres around it. These plans should clearly indicate the nature of development, permissible and non-permissible activities within this area in conformity with the prescriptions provided in the central and state archeological protection legislations.
- iii) In addition to protected/listed monuments, it is not unlikely that in view of the rich history of this region that hidden or not-yet-excavated sites also exist. The respective departments of archaeology should indicate where they reasonably expect to find underground ruins, and these areas should be duly identified in the Master Plan for each town and the respective district level plans. Buildings

चाहिए । इन क्षेत्रों में निर्माणाधीन प्रस्तावित भवनों के भवन योजनाओं को स्वीकृत करने से पहले संबंधित पुरातत्व विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है ।

- अगर नींव खोदते समय ऐतिहासिक भवनों के साक्ष्य मिलें तो निर्माण गतिविधि को जारी रखने की अनुमति देने से पहले उपयुक्त पुरातत्व विभागों को इस स्थल से साक्ष्य एकत्रित करने और इसमें किसी शिल्पकृति मिलने पर, उसको हटाने के लिए विशिष्ट समय दिया जाना चाहिए ।
- इन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए संघटक राज्यों के शहरी और ग्रामीण योजना अधिनियम में अगर कोई संशोधन v) वांछित है. तो उन्हें वह कर देना चाहिए ।

13.1.3 प्राकृतिक धरोहर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समृद्ध प्राकृतिक धरोहर स्थलों से परिपूर्ण है, जिसे संरक्षित क्षेत्र के तौर पर विकसित किए जाने की जरूरत है । इस क्षेत्र की जैविक विविधता को संरक्षित रखने के लिए, इसे चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, यह

- विशेष स्रक्षित क्षेत्रः इसमें राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और वन शामिल हैं । वे निम्नवत सूचीबद्ध हैं: i)
 - सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान
- अलवर, राजस्थान
- सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान
- गुड़गांव, हरियाणा
- इन्दिरा प्रियदर्शिनी अभयारण्य असोला, एन.सी.टी.-दिल्ली
- हस्तिनापुर अभयारण्य
- मेरठ. उत्तर प्रदेश

- पहाडी क्षेत्रः ii)
 - एन.सी.टी.-दिल्ली रिज़
 - गुड़गांव, फरीदाबाद और अलवर में अरावली पर्वतमाला
- नदी प्रणालियां, आर्द्र भूमि और जलाशयः
 - यमुना
 - गंगा
 - यम्ना आर्द्र भूमि प्रणालियां
 - नजफगढ झील, एन.सी.टी.-दिल्ली और हरियाणा
 - भल्सवा झील, एन.सी.टी.-दिल्ली
 - दमदमा झील, गुड़गांव (हरियाणा)
 - सोहना झील/गरम पानी का झरना, गुडगांव (हरियाणा)
 - बडकल और आसपास की झीलें, फरीदाबाद (हरियाणा)
 - ग्रामीण तालाबों सहित सभी वर्तमान निर्मित और प्राकृतिक जलाशय

iv) पर्यावासः

इसमें, शहरी और ग्रामीण बस्तियां और इन क्षेत्रों में पैदा होने वाली विभिन्न फसलों की जैविक विविधता, पशुधन, हरित क्षेत्र और विकसित क्षेत्रों में खुली जगहें जहां अनेक तरह की जैव सपंदा पायी जाती है, शामिल हैं ।

13.1.4 प्राकृतिक धरोहर स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए नीतियां और प्रस्ताव

प्राकृतिक धरोहर के सभी चिन्हित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग और सामीप्य के प्रदूषण नियंत्रण के मायने में सुरक्षित करना चाहिए ताकि जैविक विविधता की सुरक्षा और शहरी पारिस्थिकी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके।

पहाड़ी क्षेत्रों में सही प्रकार किस्मों का वृक्षारोपण और एक ही प्रकार की वनस्पति की वृद्धि पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।

proposed to be constructed in these areas should require a no-objection certificate from the relevant departments of archaeology before the building plans are sanctioned.

- iv) If evidence of historic buildings is revealed during the excavation for foundation, then the appropriate departments of archaeology should be allowed a specified period of time to record the evidence from this site and remove any artifact that is found before construction activity is permitted to proceed.
- v) In order to implement these policies, if any amendment is required in the Town and Country Planning Act of the constituent States, it should be done.

13.1.3 Natural Heritage

National Capital Region is endowed with rich natural heritage sites, which need to be developed as conservation areas. In order to conserve the biodiversity in the region, it can be divided into four categories. They are:

i) Special protected areas: This includes national parks, sanctuaries and forests. They are listed as follow:

Sariska national park

- Alwar, Rajasthan

• Sultanpur national park

- Gurgaon, Haryana

Indira Priya Darshini sanctuary

- Asola, NCT-Delhi

Hastinapur sanctuary

- Meerut, U.P.

- ii) Hilly areas:
 - NCT-Delhi Ridge
 - Aravallis at Gurgaon, Faridabad and Alwar
- iii) River systems, wetland and water bodies:
 - Yamuna
 - Ganga
 - Yamuna Wetland Systems
 - Nazafgarh Jheel, NCT-Delhi and Haryana
 - Bhalsava lake, NCT-Delhi
 - Damdama lake, Gurgaon (Haryana)
 - Sohna lake/Hot water spring, Gurgaon (Haryana)
 - Badkal and surrounding lakes, Faridabad (Haryana)
 - All existing constructed and natural water bodies including village ponds

iv) Habitations:

This include urban and rural settlements, biodiversity in large variety of crops that grow in these areas, livestock, green areas and open spaces in the developed areas where biotic resources manifest themselves.

13.1.4 Policies and Proposals for the Protection of Natural Heritage Sites

All the identified areas of natural heritage should be protected in terms of land use and pollution control in the vicinity to ensure the protection of biodiversity and urban ecosystems.

Afforestation with right type of species and control of growth of monoculture should be taken up in hilly areas.

अच्छी कृषीय योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाने के लिए फसल चक्र, उगाए जाने वाले बाग़बानी जातियों की प्रकार तथा उनका भूमि और सूक्ष्म जलवायु पर प्रभाव को अच्छी तरह समझना चाहिए । प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार के लिए सामाजिक वनरोपण, ऊर्जादायक पौधरोपण और कृषि आधारित वन सहित सही तरह की कृषीय पद्धतियां अपनानी चाहिए । इस क्षेत्र में जैविक विविधता के आंकडे बहुत कम उपलब्ध हैं । इसे कतिपय विशिष्ट अध्ययनों के जरिये सदृण बनाया जाना चाहिए ।

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 07.05.1992 को अधिसूचित निर्देशों झिजसमें अरावली पर्वतमाला के विशिष्ट क्षेत्र में पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली कुछ गतिविधियों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) और 3(2)(इ) और पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 का नियम 5(3)(घ) के अंतर्गत कितपय प्रतिबंध लगाए गए हैंट के निषेधों को क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों को लागू करते समय ध्यान में रखा जाए । उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्रों के लिए एक विशेष संरक्षण योजना तैयार की जानी चाहिए ।

13.2 पर्यटन

प्रत्येक राज्य में संबंधित पर्यटन विभागों के जरिये पर्यटन का पर्याप्त विकास हुआ है । राज्य के संबंधित विभाग बहुत सक्रिय रहे हैं और उन्होंने अपने राज्य में विविध पर्यटन स्थलों को विकसित किया है । क्षेत्रीय योजना-2001 में इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया गया था । चूंकि अब इसे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि माना जाने लगा है अतएव इसे क्षेत्रीय योजना-2021 में सम्मिलित किया गया है ।

13.2.1 पर्यटन स्थलों की पहचान

पर्यटन को रोजगार सृजित करने के महत्वपूर्ण घटक और शहरी विकास को विकेन्द्रित करने वाले उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए । अतः भूमि उपयोग नीति और रोजगार के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण कारक हैं ।

उपलब्ध पर्यटन गंतव्यों के विकल्पों में विविधता लाने तथा छोटे पर्यटन सर्किट के द्वारा गतिविधियों को विकसित करने का पर्यटन नीति में विशेष जोर दिया जाना चाहिए ताकि पर्यटकों को क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न पर्यटन स्थलों तक लाने के लिए प्रयास किये जा सके । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ज्यादातर पर्यटक गंतव्य सांस्कृतिक धरोहर/स्मारक हैं ।

13.2.2 पर्यटन स्थलों के विकास के लिए नीतियां और प्रस्ताव

पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन विकास योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसमें क्षेत्र के भीतर एक से चार दिन के अन्दर पूरा होने वाले अपेक्षाकृत छोटे पर्यटक सर्किट दर्शाते हुए निम्नलिखित नीतियों और कार्यनीतियों को सिम्मिलित किया जाना चाहिए:

- i) धरोहर और पर्यटन स्थलों का प्रयोग प्रत्यक्ष भूमि उपयोग नीति को विकास की ओर विकेन्द्रित पद्धित के औजार के तौर पर किया जाना चाहिए । अतिक्रमण और दुरूपयोग रोकने के लिए भूमि उपयोग योजना में इनकी स्पष्ट रूप से पहचान तथा सांस्कृतिक और आरामगाह पर्यटन संभावनाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए ।
- ii) एक से लेकर तीन दिन यात्रा वाले पर्यटन सर्किट सृजित किए जाने चाहिए जिसमें पर्यटन, आरामगाह, सांस्कृतिक तथा धरोहर स्थल शामिल किए गए हो और इनके विकास के लिए परिवहन तथा अन्य अवसंरचनाओं के विकास के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इसके लिए वित्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जाने चाहिए । पर्यटन को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की सहायता लेनी चाहिए और क्षेत्र में पर्यटक गंतव्यों की मरम्मत और रखरखाव में निवेश के लिए इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ।
- iii) पर्यटन को महत्वपूर्ण रोजगार स्रोत के रूप में पहचान मिलनी चाहिए ।
- iv) धरोहर और पर्यटन स्थलों के लिए उचित आंकड़ों का विकास किया जाना चाहिए और इसे समय-समय पर अद्यतन करते रहना चाहिए ।
- v) प्रचार माध्यमों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के धरोहर और पर्यटक स्थलों का प्रसार कराया जाना चाहिए ।

Cropping pattern, type of horticulture species that are grown and their effect on the soil, micro climate should be understood in order to save the good agricultural land from the loss of soil fertility. Right type of agricultural practices including social forestry, energy plantation and agro-forestry would go a long way to improve the natural environment. Database for the biodiversity in the region is very poor. It should be strengthened by undertaking certain specific studies.

The enforcement of the prohibition, directions notified by the Ministry of Environment and Forests, Government of India dated 07.05.1992 [under Section 3(1) and 3(2)(v) of the Environment Protection Act, 1986 and rule 5(3)(d) of the Environment (Protection) Rules, 1986 restricting certain activities in specified area of Aravalli Range which are causing environmental degradation in the region] should be ensured while taking up developmental activities in the region. A special Conservation Plan for the above notified areas should be prepared.

13.2 TOURISM

Considerable development of tourism has taken place in each State through the respective Departments of Tourism. The respective State Departments have been very active and have developed a variety of tourist sites in their States. This sector was not considered in the Regional Plan-2001. Considering it as one of the important economic activities in the region, it has been included in this Plan.

13.2.1 Identification of Tourist Sites

Tourism should be recognised as an important generator of employment and an instrument to decentralise urban development. Hence it becomes a key element in the land use policy and employment sector.

The tourism policy should be pro-active to diversify the options available for tourism destination and activities through the development of smaller tourism circuits so that the tourists can be persuaded to sample the diverse range of tourism options available within the region. Cultural heritage/monuments are major tourist destinations in NCR.

13.2.2 Policies and Proposals for Development of Tourism Sites

Tourism Development Plan should be prepared highlighting the smaller tourist circuits with one to four days trip within the region to promote tourism incorporating following policies and strategies:

- i) The heritage and tourist sites should be used as instruments to direct land use policy towards more decentralised patterns of development. They should be clearly identified on the land use plan to prevent encroachment and inappropriate development and should be integrated with the potentials for cultural and leisure tourism.
- ii) Tourism circuits covering tourism, leisure, cultural and heritage sites should be created with one to three days trip and should be given priority in development of transportation and other infrastructure. Fiscal incentives should be provided for the purpose. Private sector should be encouraged to help in development of tourism and also invest in maintenance & upkeep of tourist destinations in the region.
- iii) Tourism should be recognised as an important source of employment.
- iv) Proper database for heritage and tourism sites should be developed and updated from time to time.
- v) Publicity of the heritage and tourist sites in the National Capital Region should be done through media.